Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017 (ASVINA 20, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 13 अक्तूबर, 2017

संख्या 105/एसटी–2.– चूंकि हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), इसमें, इसके पश्चात्, जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है, के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहां तक इसका सम्बन्ध उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से है:

इसलिए, अब हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:–

1. यह आदेश हरियाणा माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017, कहा जा सकता है।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,–

   (i) इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के पैरा 6 के खंड (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिनमें वे सेवांए भी आती है जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिसन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक की इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों।

   (ii) आगे और भी यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजिसन स्कीम के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने में उसके सकल कारोबार की गणना करने में किसी छूट प्राप्त सेवा की आपूर्ति के मूल्य को, जिसमें वे सेवाएं भी आती हों जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक इसके प्रतिफल की अभिव्यक्ति ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से हुआ हों, शामिल नहीं किया जाएगा।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

ORDER

The 13th October, 2017

No. 105/ST-2.— Whereas, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), hereinafter in this order referred to as the said Act, in so far as it relates to the provisions of Section 10 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 172 of the said Act, the Governor of Haryana, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Haryana Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017.

2. For the removal of difficulties,-

(i) it is hereby clarified that if a person supplies goods and/or services referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act and also supplies any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, the said person shall not be ineligible for the composition scheme under Section 10 subject to the fulfilment of all other conditions specified therein.

(ii) it is further clarified that in computing his aggregate turnover in order to determine his eligibility for composition scheme, value of supply of any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise & Taxation Department.

55677–C.S.–H.G.P., Chd.